न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -76/2021

अनवान

1. ग्राम पंचायत बड़ोदिया जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।
2. ग्रामवासियान ग्राम बड़ोदिया ग्रा0पं0 वड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान) जरिये प्रतिनिधियान-
   2(1)- मोडसिंह परिहार पुत्र श्री उदयसिंह जी राजपूत आयु बालिग निवासी बड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।
   2(2)- त्रिलोक चन्द पुत्र श्री भंवरलाल जी तेली आयु बालिग निवासी बड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।
   2(3)- दुर्गालाल श्री कैलाश चन्द्र जी वैष्णव आयु बालिग निवासी बड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. बाबू मोहम्मद पिता मांगीलाल मंसूरी जाति पिंजारा आयु बालिग निवासी ग्राम बड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।
2. धैर्य कुमार पिता उदयलाल जाति कायस्थ आयु बालिग निवासी ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान।
3. आलोक कुमार पिता उदयलाल जाति कायस्थ आयु बालिग, निवासी ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान ।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी सं 01 स्वयं उपस्थित व अप्रार्थी संख्या 2,3 एकतरफा कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 30.01.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया है जो सुदृढ़ आधारों पर आधारित होकर अवश्य ही वादी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री होगा। ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रावतभाटा राज. में स्थित खसरा सं. 294 व 291 किस्म पेटा 2 स्थित है यह भूमि प्रारम्भ से ही ग्राम पंचायत बड़ोदिया की आबादी भूमि में स्थित होकर भूमि राजस्व रेकार्ड मे पेटा-2 दर्ज होकर मौके पर तालाब बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है जो ग्रामवासियान के सिंचाई एवं मवेशियों के पानी पीने हेतु कदीवी समय से बना हुआ है जो मौके पर पड़त होकर किसी का कब्जा कभी भी नहीं रहा है तथा ना ही यह भूमि काश्त काबिल है तथा किसी भी व्यक्ति अथवा खातेदार ने इन आराजी जैरबहस पर आज तक कोई काश्त नहीं की है उक्त कृषि भूमियों में मौके पर खसरा सं. 291 में डामरींत सड़क तथा खसरा सं. 294 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाडी भवन व सहकारी समिति भवन बने हुए हैं अर्थात समस्त [illegible] पंचायत बड़ोदिया की मिल्कियत होकर इस भूमि पर सरकारी भवन बने हुए हैं तथा इसी आराजी [illegible] के बाड़े बने हुए हैं जिनके पट्टे ग्राम पंचायत बड़ोदिया द्वारा जारी किये गये [illegible] आराजी जैर बहस पर ग्राम पंचायत बडोदिया तथा इसी गांव के समस्त [illegible] यह भूमि ग्रामवासियान [illegible] सार्वजनिक उपयोगितार्थ उपयोग में आती रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां [illegible] राजस्व रेकार्ड मे पेटा-2 दर्ज [illegible] मौके पर तालाब बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, उक्त कृषि भूमियां खसरा सं. 294 तथा 291 जिसके साबिक नम्बर 54/1 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा में से 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि विपक्षीगण सं. 02 व 03 के पिता उदयलाल पिता ईश्वंरलाल श्रीवास्तव को गलत रूप से खुद काश्तकार मानते हुए नियमन आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजियात बिलानाम सरकार होकर तालाब पेटा की भूमि दर्ज थी। इन विवादित आराजी जैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:50:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

बहस को अपने पटवारी होने के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विपक्षीगण सं. 02 व 03 के पिता उदयलाल ने गलत रूप से अपने नाम नियमन करवा ली उनके स्वर्गवास के पश्चात बिना कब्जे के तथा बिना कब्जा सम्भलाये जरिये विरासतीय नामांतीकरण से विपक्षीगण सं. 02 व 03 के नाम दर्ज कर दी, विपक्षीगण सं. 02 व 03 ने जरिये तथाकथित बयनामा दिनांक 31.12.2010 से उक्त आराजियात को विपक्षीगण सं. 01 बाबू मोहम्मद मंसूरी को विक्रय कर दी, इसी विक्रय के नामांतरण के विरूद्ध प्रार्थी सं. 01 ग्राम पंचायत बड़ोदिया ने श्रीमान् अपर जिला कलेक्टर प्रशासन चित्तौड़गढ़ के यहां अलग से निगरानी प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। उक्त वर्णित षि भूमियों पर प्रारम्भ से ही कब्जा ग्राम पंचायत बड़ोदिया एवं ग्रामवासियान का रहा है, उक्त आराजी जैर बहस के सम्बन्ध में नामांतरकरण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार साहब रावतभाटा ने भू0अ0नि0 से उक्त आराजी के संबंध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिसपर भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 30.07.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें आ.नं. 291 में डामरींत सड़क व आ.न. 294 के हिस्से पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाडी भवन व सहकारी समिति भवन बना हुआ व इसी आराजी के कुछ हिस्से मे गोपाल, देवीलाल, मोहनलाल, लालचन्द पिता नारायण, बालचन्द पिता सूरजमल कुम्हार, देवीलाल पिता कालू मीणा की पत्थर की कोट व बाड़े बने होना अंकित किया था तथा शेष कृषि भूमियों पर तालाब होकर उस पर पानी भरा होना अंकित किया था। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पेटा तालाब होकर सार्वजनिक उपयोगितार्थ है जिस पर कभी भी काश्त नहीं हुई है ना ही आवंटी उदयलाल श्रीवास्तव व उसके वारिसान का कभी भी कब्जा व काश्त रहा है ना ही उक्त आराजी जैर बहस पर क्रेता बाबू मोहम्मद मंसूरी विपक्षीगण सं. 01 का कभी कब्जा काश्त रहा है, इस कारण उक्त भूमि पर नियमन प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य हो जाता है। कब्जे व काश्त के अभाव में समस्त विक्रय, नामांतरकरण व नियमन विधि विरूद्ध होकर खारिज होने योग्य है। उक्त कृषि भूमियों का विपक्षीगण सं. 01 बाबू मोहम्मद मंसूरी के नाम खुले नामान्तरकरण सं. 155 को प्राथऍं ग्राम पंचायत बड़ोदिया द्वारा. दिनांक 30.04.2011 को सर्वसम्मिति से प्रस्ताव लेकर खारिज किया गया था जिसके विरूद्ध न्यायालय श्रीमान में अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 21.10.2013 को निर्णित हुई तथा न्यायालय श्रीमान के आदेश की पुनः अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के यहां प्रस्तुत हुई जिसमें अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा का आदेश व निर्णय खारिज कर पत्रावली श्रीमान् तहसीलदार साहब रावतभाटा विपक्षीगण सं. 04 को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी कि तहसीलदार साहब रावतभाटा सम्पूर्ण विवेचित तथ्यों के संदर्भ मे पुनः जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण से संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करे। जिसपर विपक्षीगण सं. 04 द्वारा इन्तकाल सं. 155 के फेसल करने बाबत दोनो पक्षों को सुनवाई हेतु तलब किया, इस दौरान ग्राम पंचायत बड़ोदिया के चुनाव हो गए तथा फेसल सं. 01 बाबू मोहम्मद मंसूरी सरपंच चुन लिए गए जिससे उसने अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर तहसीलदार साहब रावतभाटा के यहां ग्राम पंचायत के पदेन सचिव से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवा प्रकरण मे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा नामांतरकरण सं. 155 फेसल सं. 01 बाबू मोहम्मद मंसूरी के पक्ष मे निर्णित कर देने में कोई आपत्ति नहीं जताई तथा ना ही प्रभावी पैरवी ही की गई। इस कारण फेसल स. 04 द्वारा नामांतरण सं. 155 फेसल सं. 01 के पक्ष में निर्णित करने का आदेश प्रदान कर दिया गया जिसकी जानकारी वर्तमान ग्राम पंचायत वादीगण को नहीं हो पायी थी। सर्वप्रथम यह जानकारी दिनांक 10.06.2019 को हुई जिसकी अपील श्रीमान् अपर जिला कलेक्टर महोदय प्रशासन चित्तौड़गढ़ के यहां प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है, इस कारण अपील एवं उक्त लिखित निगरानी का निर्णय नहीं होने तक प्रकरण मे किसी प्रकार की कोई कब्जा हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही करने से विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे तथा जबरन कब्जा करने की जो कोशिश विपक्षीगण द्वारा की जा रही है उसे भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता-फैसला मूल वाद विपक्षीगण सं. 01,02,03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की पेरा सं. 03 में वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार का कब्जा काश्त, नाजायज हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी ना तो स्वयं करें ना किसी दिगर व्यक्ति से करवावें तथा मौके की यथास्थिति को बनाये रखें तथा विपक्षी सं. 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे मौके पर जाकर विपखी सं 1,2,3 को किसी प्रकार का कब्जा सिपुर्द करने की कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना अपने मातहत कर्मचारी से करवाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 2 व 3 की बाद तामील उपस्थित नहीं होने से दिनांक [illegible] विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 व 04 पर्याप्त अवसर दि[illegible]वजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनका जवाब बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:50:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की [illegible] प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रा[illegible]टा राज. में स्थित खसरा सं. 294 व 291 किस्म पेटा 2 स्थित है यह भूमि प्रारम्भ से ही ग्राम पंचायत बड़ोदिया की आबादी भूमि में स्थित होकर भूमि राजस्व रेकार्ड मे पेटा-2 दर्ज होकर मौके पर तालाब बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है जो ग्रामवासियान के

सिंचाई एवं मवेशियों के पानी पीने हेतु कदीवी समय से बना हुआ है जो मौके पर पड़त होकर किसी का कब्जा कभी भी नहीं रहा है तथा ना ही यह भूमि काश्त काबिल है तथा किसी भी व्यक्ति अथवा खातेदार ने इन आराजी जैरबहस पर आज तक कोई काश्त नहीं की है उक्त कृषि भूमियों में मौके पर खसरा सं. 291 में डामरीत सड़क तथा खसरा सं. 294 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाडी भवन व सहकारी समिति भवन बने हुए हैं अर्थात समस्त भूमि ग्राम पंचायत बडोदिया की मिल्कियत होकर इस भूमि पर सरकारी भवन बने हुए हैं तथा इसी आराजी पर ग्रामवासियान के बाड़े बने हुए हैं जिनके पट्टे ग्राम पंचायत बड़ोदिया द्वारा जारी किये गये है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही इन उक्त आराजी जैर बहस पर ग्राम पंचायत बडोदिया तथा इसी गांव के समस्त ग्रामवासियान का कब्जा होकर यह भूमि ग्रामवासियान के सार्वजनिक उपयोगितार्थ उपयोग में आती रही है। उक्त कृषि भूमियाँ खसरा सं. 294 तथा 291 जिसके साबिक नम्बर 54/1 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा में से 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि विपक्षीगण सं. 02 व 03 के पिता उदयलाल पिता ईश्वरलाल श्रीवास्तव को गलत रूप से खुद काश्तकार मानते हुए नियमन आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजियात बिलानाम सरकार होकर तालाब पेटा की भूमि दर्ज थी। इन विवादित आराजी जैर बहस को अपने पटवारी होने के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विपक्षीगण सं. 02 व 03 के पिता उदयलाल ने गलत रूप से अपने नाम नियमन करवा ली उनके स्वर्गवास के पश्चात बिना कब्जे के तथा बिना कब्जा सम्भलाये जरिये विरासतीय नामांतीकरण से विपक्षीगण सं. 02 व 03 के नाम दर्ज कर दी। विपक्षीगण सं. 02 व 03 ने जरिये तथाकथित बयनामा दिनांक 31.12.2010 से उक्त आराजियात को विपक्षीगण सं. 01 बाबू मोहम्मद मंसूरी को विक्रय कर दी। प्रार्थना पत्र की पेरा सं. 03 में वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार का कब्जा काश्त, नाजायज हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी ना तो स्वयं करें ना किसी दिगर व्यक्ति से करवावें तथा मौके की यथास्थिति को बनाये रखें तथा विपक्षी सं. 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे मौके पर जाकर विपखी सं 1,2,3 को किसी प्रकार का कब्जा सिपुर्द करने की कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना अपने मातहत कर्मचारी से करवाये। इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रावतभाटा राज. में स्थित खसरा सं. 294 व 291 किस्म पेटा 2 कृर्षि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 व 3 की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक अप्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम बड़ोदिया पटवार हल्का बड़ोदिया तहसील रावतभाटा में स्थित खसरा सं. 291 व 294 की मौकें व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:30:01 IST
Reason: SelfAttested